



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 346 राँची, बुधवार, 3 आषाढ़, 1948 (श०)
24 जून, 2026 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
4 जून, 2026

1. **संख्या-ख०भू०(राज०स्था०)(खान)-02/2025 1164/एम०**,--राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री प्रदीप कुमार साह**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), सम्प्रति झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची (सेवा सुपुर्द) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतनलेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री साह, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी की सेवा झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची में अगले आदेश तक पूर्ववत् रहेगा।

2. **संख्या-ख०भू०(राज०स्था०)(खान)-02/2025 1165/एम०**,--राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री राम नरेश सिंह**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), सम्प्रति प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, खूँटी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री सिंह, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी पूर्ववत् प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।

3. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1166/एम०,-- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री राजाराम प्रसाद**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), दिनांक-30.04.2026 को सेवानिवृत्त, तत्कालीन प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा को (विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा की तिथि) दिनांक-16.03.2026 के प्रभाव से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

4. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1167/एम०, -- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री पिन्टू कुमार**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), जिला खनन कार्यालय, खूँटी, अतिरिक्त प्रभार खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, राँची को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री पिन्टू कुमार, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी के पद पर पूर्ववत् जिला खनन कार्यालय, खूँटी में अगले आदेश तक बने रहेंगे। श्री कुमार, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, राँची में अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

5. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1168/एम०,-- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री दिलीप कुमार**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), सम्प्रति प्रभारी सहायक खनन पदाधिकारी, खान निदेशालय, राँची को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री दिलीप कुमार, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्ववत् सहायक खनन पदाधिकारी, खान निदेशालय, राँची के पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।

6. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1169/एम०,-- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री सुनील कुमार**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), सम्प्रति प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री सुनील कुमार, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्ववत् प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी, पलामू के पद पर अगले आदेश तक बने रहेंगे।

7. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1170 /एम०,-- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री राहुल कुमार**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री राहुल कुमार, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी के पद पर जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ में पूर्ववत् अगले आदेश तक बने रहेंगे।

8. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1171/एम०, -- राँची दिनांक 23.06.2026 **श्री राजेश हांसदा**, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06), जिला खनन कार्यालय, चतरा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री हांसदा, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी के पद पर जिला खनन कार्यालय, चतरा में पूर्ववत् अगले आदेश तक बने रहेंगे।

9. संख्या-ख0भू0(राज0स्था0)(खान)-02/2025 1172/एम०,-- राँची दिनांक 23.06.2026 श्री विश्वनाथ उराँव, खान निरीक्षक (PB-II वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड पे०-4200 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-06) जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह (अतिरिक्त प्रभार जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह एवं अभ्रक लेखा निरीक्षक, कोडरमा) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक खनन पदाधिकारी (PB-II वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे०-4800 अपुनरीक्षित, पुनरीक्षित वेतन लेवल-8) के रिक्त पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

श्री उराँव, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी, सहायक खनन पदाधिकारी के पद पर जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह (अतिरिक्त प्रभार अभ्रक लेखा निरीक्षक, कोडरमा) में पूर्ववत् अगले आदेश तक बने रहेंगे।

श्री उराँव, नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह के अतिरिक्त प्रभार में (श्री सत्यजीत, जिला खनन पदाधिकारी के अवकाश से वापस आने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो) बने रहेंगे।

10. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

11. FR 22(1)(A)(1) के तहत अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प का चयन कर वेतन-निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से अथवा अगली वेतन-वृद्धि की तिथि से कराया जा सकता है।

12. वैसे जिला खनन कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/संलग्न कार्यालय जहाँ सहायक खनन पदाधिकारी का पद रिक्त/उपलब्ध नहीं है वहाँ नवप्रोन्नत सहायक खनन पदाधिकारी के प्रभार/पदस्थापन की अवधि तक, खान निरीक्षक के उपलब्ध रिक्त पद को सहायक खनन पदाधिकारी के पद में उत्क्रमित समझा जायेगा।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रनीता खलखो,
सरकार के उप सचिव
